दिनांक 08.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 16/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना छपरौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07.03.2025 की रात्रि थाना छपरौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभिषेक उर्फ सागर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छपरौली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक उर्फ सागर निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

एटीएस/थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 07.03.2025 को एटीएस फील्ड यूनिट सहारनपुर व थाना कटघर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त उल्फत हुसैन

उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम उर्फ अफजाल उर्फ परवेज उर्फ हुसैन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कटघर जनपद मुरादाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद मुरादाबाद से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद व जम्मू काश्मीर के थानों पर हत्या का प्रयास, आतंकवाद निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कटघर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम उर्फ अफजाल उर्फ परवेज उर्फ हुसैन निवासी ग्राम फजलाबाद थाना सूरनकोट जनपद पूंछ, जम्मू एण्ड कश्मीर।

जनपद मुरादाबाद/थाना डिलारी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 29 हजार 950 रुपये नकद**
- **01 लैपटाप मय चार्जर, 01 फिन्गर प्रिन्ट स्कैनर डिवाइस, 01 स्पीकर, 06 पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.03.2025 को थाना डिलारी व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरकड़ा विश्नोई नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नईम 2–नसीम घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 29 हजार 950 रुपये नकद, 01 लैपटाप मय चार्जर, 01 फिन्गार प्रिन्ट स्कैनर डिवाइस, 01 स्पीकर, 06 पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित खोखा कारतूस आदि बरामद हुए । घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नईम के विरुद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त नसीम के विरुद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना डिलारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– नईम निवासी दौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद ।

2– नसीम निवासी शाहपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद ।

बरामदगी

1–लूट के 29 हजार 950 रुपये नकद ।

2–01 लैपटाप मय चार्जर, 01 फिन्गार प्रिन्ट स्कैनर डिवाइस, 01 स्पीकर, 06 पासबुक,पेन कार्ड,आधार कार्ड।

3–घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल ।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित खोखा कारतूस आदि ।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 08 हजार 370 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 07.03.2025 की रात्रि थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घटायन के जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर

जा से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राहुल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शिवा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 08 हजार 370 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना जानसठ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जानसठ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी ग्राम फरीजपुर माना पदमावली थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर।

2–शिवा निवासी रामपुर बकली थाना कोतवाली बिजनौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–चोरी के 08 हजार 370 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद अमेठी/ थाना जगदीशपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल**
- **भारी मात्रा में मोटर साइकिल के विभिन्न पार्टस**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 08.03.2025 को थाना जगदीशपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–लाल साहब उर्फ विक्रम 2–रामकुमार उर्फ आकाश 3–सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से

चोरी की 10 मोटर साइकिल (02 मोटर साइकिल के कटे हुए पार्टस मय इंजन), भारी मात्रा में मोटर साइकिल के विभिन्न पार्टस, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त लाल साहब उर्फ विक्रम के विरुद्ध जनपद अयोध्या, सुल्तानपुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है ।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– लाल साहब उर्फ विक्रम निवासी पिपरी थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर ।

2– रामकुमार उर्फ आकाश निवासी गनापुर थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।

3– सूरज निवासी पिपरी थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर ।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल ।

2–भारी मात्रा में मोटर साइकिल के विभिन्न पार्टस।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस ।

जनपद बहराइच/थाना दरगाह शरीफ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07.03.2025 को थाना दरगाह शरीफ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहाड़ फक्कर रोड़ से 02 अभियुक्तों 1–मो0 अफाक 2– अनस बाबू को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद हुई ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मो0 अफाक के विरुद्ध जनपद बहराइच के थाना दरगाह शरीफ पर चोरी, हत्या का प्रयास, गैगेंस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग व

अभियुक्त अनस बाबू के विरुद्ध जनपद बहराइच के थाना दरगाह शरीफ पर चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं ।

इस सम्बन्ध में थाना दरगाह शरीफ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 अफाक निवासी मो0 इमामगंज थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच ।

2– अनस बाबू निवासी नूरद्दीन चक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच ।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल ।

जनपद उन्नाव/थाना दही

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **169 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के**
- **05 हजार रूपये नगद**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनॉकः 07.03.2025 को थाना दही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–सूरज 2–रंजीत 3–शेखू उर्फ अभिषेक 4–आलोक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 169 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के, 05 हजार रूपये नगद, 01 कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों को विश्वास में लेकर एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से पैसे निकाल लेने की घटना कारित करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज के विरूद्ध जनपद रायबरेली, कमिश्नरेट कानपुर नगर, लखनऊ के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त आलोक कुमार के विरूद्ध जनपद अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ, प्रयागराज के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सूरज निवासी पूराचांद थाना औरास जनपद उन्नाव।

2–रंजीत निवासी ग्राम बासुपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

3–शेखू उर्फ अभिषेक निवासी पूराचांद थाना औरास जनपद उन्नाव।

4–आलोक कुमार निवासी पूरे पाण्डेय पतुनकी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–169 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के।

2–05 हजार रूपये नगद।

3–01 कार आदि।

जनपद एटा/ थाना निधौली कला

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **06 नाल अर्द्ध निर्मित**
- **02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.03.2025 को थाना निधौली कला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खारजा नहर पुल के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1– राजेश 2– शिशुपाल को गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 नाल अर्द्ध निर्मित, 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजेश के विरुद्ध जनपद हाथरस, एटा के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट के 07 अभियोग पंजीकृत है ।

इस सम्बन्ध में थाना निधौली कला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– राजेश निवासी सभापुर थाना निधौली कला जनपद एटा ।

2– शिशुपाल निवासी सभापुर थाना निधौली कला जनपद एटा ।

<u>बरामदगी</u>

1–09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर ।

2– 06 नाल अर्द्ध निर्मित।

3–02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर ।

4–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि ।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर</u>

•01 अभियुक्त गिरफ्तार

•लगभग 60 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 121 किलोग्राम अवैध गांजा

•घटना में प्रयुक्त कैन्टर बरामद

दिनॉकः 07.03.2025 को थाना कविनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 60 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 121 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त कैन्टर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मोहित निवासी ग्राम नंगला सेवा थाना निधौली कलॉ जनपद एटा।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 60 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 121 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त कैन्टर।

एस0टी0एफ0–उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष–2025 की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा प्रभारी, कक्ष निरीक्षक, अध्यापक एवं साल्वर सहित 19 व्यक्ति जनपद हरदोई के थाना क्षेत्र कछौना से गिरफ्तार।

दिनांकः 07–03–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष–2025 की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा प्रभारी, कक्ष निरीक्षक, अध्यापक एवं साल्वर सहित 19 व्यक्तियों को जनपद हरदोई के थाना क्षेत्र कछौना से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– राम मिलन सिंह पुत्र स्व0 शीशुपाल सिंह ग्राम–नैरा, थाना कछौना, जनपद हरदोई।
(**केन्द्र व्यवस्थापक** जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज, दलेलनगर, हरदोई।)

2– मनीष सिंह पुत्र राम मिलन सिंह ग्राम–नैरा, थाना कछौना, जनपद हरदोई।
(**परीक्षा प्रभारी/कक्ष निरीक्षक** जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज, दलेलनगर, हरदोई।)

3– शारदा प्रसाद वर्मा भगवानदीन वर्मा, निवासी ग्राम–नारा पुरवा, थाना टडियॉवा, जनपद हरदोई।
(**अध्यापक** जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज, दलेलनगर, हरदोई।)

4– अंकिता शर्मा पुत्री रामशंकर शर्मा निवासी ग्राम रैसो, थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज, दलेलनगर, हरदोई।)

5– रीती पुत्री शम्भूदयाल निवासी ग्राम उसराहा, थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज, दलेलनगर, हरदोई।)

6– अमरेन्द्र सिंह पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम गाजू , थाना–कछौना, हरदोई।
(**अध्यापक/साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

7– अमृतपाल पुत्र गुरूदीन निवासी ग्राम बरवा सरसड, थाना बघौली, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

8– अरविन्द कुमार पुत्र टेकराम वर्मा निवासी रेलवेगंज, कालोनी पत्रसैनी, थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

9– शैलेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम हाजीपुर, थाना–बघौली, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

10– मंसाराम शुक्ला पुत्र सुवेदार निवासी ग्राम चनोखर, थाना–बघौली, हरदोई।
(**अध्यापक / साल्वर** स्मृति इण्टर कालेज, तरौली, हरदोई।)

11– अदिति गुप्ता पुत्री निर्मल गुप्ता निवासी मो0 ठाकुरगंज, पत्रसैनी, थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

12– सगुन गुप्ता पुत्री अनूप गुप्ता निवासी कस्बा व थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

13– प्रियांषी पाल पुत्री राजू पाल निवासी गैसिंहपुर थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

14– सगुन सिंह पुत्री अमित सिंह निवासी ग्राम दीननगर, थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

15– माही सिंह पुत्री अमित सिंह निवासी ग्राम दीननगर, थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

16– सुकृति चौरसिया पुत्री हरीषचन्द्र चौरसिया ग्राम व थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

17– आख्या सिंह पुत्री मिथिलेष सिंह ग्राम बालामऊ, थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

18– जान्ह्वी गुप्ता पुत्री निर्मल गुप्ता मो0 ठाकुरगंज, पत्रसैनी, थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

19– पल्लवी पाल पुत्री राजू पाल निवासी गैसिंहपुर थाना–कछौना, हरदोई।
(**साल्वर** जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, कटिया मऊगढ़ी, हरदोई।)

बरामदगीः–

1– हाई स्कूल अंग्रेजी विषय से सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक के मोहर व हस्ताक्षर सहित हल की गयी उत्तर पुस्तिकाएं–11 अदद। (जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज)

2– हाई स्कूल अंग्रेजी विषय से सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक के मोहर व हस्ताक्षर सहित हल की गयी उत्तर पुस्तिकाएं–17 अदद। (जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज)

3– हाई स्कूल अंग्रेजी विषय से सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक के मोहर व हस्ताक्षर सहित हल की गयी उत्तर पुस्तिकाएं–02 अदद। (स्मृति इण्टर कालेज)

4– इण्टरमीडिएट कृषि अर्थशास्त्र विषय से सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक के मोहर व हस्ताक्षर सहित हल की गयी उत्तर पुस्तिकाएं–01 अदद। (जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज)

5— माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेष हाई स्कूल परीक्षा से सम्बन्धित बिना लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं—28 अदद। (ए—कापी)

6— माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा से सम्बन्धित बिना लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं—49 अदद। (ए—कापी)

7— प्रवेश पत्र—65 अदद।

8— विभिन्न तिथियों की परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों के नाम व रोल नम्बर की सूची—27 अदद।

9— नकल पर्ची—12 अदद।

10— कृषि अर्थशास्त्र की पुस्तक—01 अदद।

11— मोबाइल फोन— 12 अदद

12— आधार कार्ड—02 अदद।

13— पैन कार्ड—01 अदद।

14— डीएल—01 अदद।

15— रू0 25,000/—

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक—</u>

1— जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज, के बगल में बने केन्द्र व्यवस्थापक राम मिलन सिंह का मकान। दिनांक 07—03—2025 प्रातः 10.45 बजे।

2— जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज, के केन्द्र व्यवस्थापक अनिल सिंह का कमालपुर—कछौना स्थित मकान। दिनांक 07—03—2025 प्रातः 10.45 बजे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष—2025 की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने एवं अतिसम्बेदनशील/सम्बेदनशील जनपदों में आयोजित परीक्षाओं की सुचिता बनाते हुए नकल माफिया एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एसटीएफ उ0प्र0 को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों द्वारा अभिसूचना सकंलन एवं कार्यवाही प्रचलित थी। इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में कार्य कर ही मुख्यालय स्थित टीम एवं फील्ड इकाई अयोध्या द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 07—03—2025 को निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी, सौरभ मिश्र एवं चन्द्र प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में एसटीएफ टीम जनपद हरदोई में भ्रमणशील थी। इस दौरान जरिये मुखबिर ज्ञात हुआ कि जगन्नाथ सिंह पब्लिक इण्टर कालेज के केन्द्र व्यवस्थापक अनिल सिंह एवं जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज के केन्द्र व्यवस्थापक राम मिलन सिंह के मकान जो विद्यालय के समीप ही है, वहॉ पर हाई स्कूल अंग्रेजी विषय एवं इण्टरमीडिएट कृषि अर्थशास्त्र की कापियॉ साल्वरों द्वारा लिखाई जा रही है, जिसमें विद्यालय प्रबन्धक, केन्द्र व्यवस्थापक एवं कई शिक्षको की संलिप्तता

है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं स्थानीय थाना पुलिस को लेकर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार एवं उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में अलग–अलग टीमें बनाकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर अचानक एक साथ दबिष दी गयी, तो परीक्षा प्रभारी एवं अध्यापको की मौजूदगी में साल्वरो द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही थी, जहॉ से उपरोक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं उपरोक्तानुसार बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि जगन्नाथ पब्लिक इण्टर कालेज के प्रबन्धक अनिल सिंह हैं जो इस विद्यालय में वर्तमान समय में आयोजित बोर्ड परीक्षा के केन्द्र व्यवस्थापक भी है। इसी प्रकार जय सुभाष महाबली इण्टर कालेज के प्रबन्धक राम मिलन सिंह है, जो इस विद्यालय के केन्द्र व्यवस्थापक भी है, परन्तु वास्तविक रूप से विद्यालय का प्रबन्धन एवं कार्य उनके पुत्र मनीष सिंह द्वारा सम्पादित किया जाता है, मनीष सिंह एवं अनिल सिंह द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में पास कराने हेतु ठेका लिया गया है। इनके द्वारा नकल हेतु अलग–अलग रेट तय किये गये है। भारी संख्या में साल्वर और अध्यापक इनके घरों मे बैठकर प्रश्न पत्र हल करते है, जहॉ पर मौजूद स्कूल के अध्यापको को इनके द्वारा समय से पूर्व प्रश्न पत्र ह्वाटसएप के जरिये उपलब्ध कराया जाता है। केन्द्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक के मोहर व हस्ताक्षर सहित उत्तर पुस्तिका इन्ही अध्यापको के माध्यम से साल्वरो को उपलब्ध करायी जाती है। अध्यापक वस्तुनिष्ठ प्रष्नों को बोलकर हल कराते है तथा कठिन प्रश्नों की नकल पर्ची बनाकर भी साल्वरों को देते है। शेष प्रश्नो को साल्वर स्वयं हल करते है। एक पाली में एक साल्वर 02 परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाएं लिखता है। जिसके बदले में साल्वर को प्रति कापी 1000/– रूपये दिये जाते है। इन नकल माफियाओं द्वारा साल्वरों के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाएं लिखवाने के एवज में 25–50 हजार रूपये वसूले जाते है। ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र में मौजूद नहीं होते है, उनकी उत्तर पुस्तिका साल्वर के माध्यम से केन्द्र के बाहर लिखी जाती है परन्तु अटेंडेन्ट सीट में उनकी हाजिरी तब तक नहीं अंकित की जाती जब तक उनकी उत्तर पुस्तिका परीक्षा केन्द्र मे नही पहुचती है। परीक्षा केन्द्र में उत्तर पुस्तिका आ जाने पर सम्बन्धित परीक्षार्थी को अटेंडेन्ट सीट में उपस्थित दिखाकर साल्वर द्वारा लिखी गयी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु बोर्ड भेजे जाने वाले बण्डलों में रखवाकर भेज दिया जाता है। इन नकल माफियाओ के माध्यम से परीक्षा दे रहे ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा केन्द्र में तो मौजूद होते है परन्तु उनकी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा केन्द्र के बाहर साल्वरों के माध्यम से बाहर लिखी जाती है। अटेंडेन्ट सीट में उन्हे शुरू से ही उपस्थित दिखाया जाता है और उनकी उत्तर पुस्तिका भी जमा की जाती है। परन्तु उक्त परीक्षार्थी की साल्वर के माध्यम से बाहर लिखी गयी उत्तर पुस्तिका परीक्षा केन्द्र पर आने पर उसे मूल्यांकन हेतु भेजे जाने वाले बण्डल में रखकर वास्तविक परीक्षार्थी द्वारा लिखी गयी उत्तर पुस्तिका निकाल कर नष्ट कर दिया जाता है।

उपरोक्त सम्बन्ध में थाना कछौना, जनपद हरदोई में मु0अ0सं0 75/25 धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2)बीएनएस व 8, 11, 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम–2024 तथा मु0अ0सं0 76/2025 धारा 8, 11, 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम–2024 का अभियोग थाना कछौना, जनपद हरदोई पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

––––––